# बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

## आवश्यक सूचना

**संदर्भ :– विज्ञापन सं०–01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024 तथा 04/2024**

Civil Appeal No-18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या–11/आ०–न्याया–73/2024–12679/सा०प्र०, दिनांक–12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट मे तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

विज्ञापन संख्या–01/2023 (सुरक्षा प्रहरी), 02/2023 (सुरक्षा प्रहरी), 03/2023 (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर), 04/2023 (चालक), 05/2023 (कार्यालय परिचारी), 01/2024 (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक), 02/2024 (कनीय लिपिक), 03/2024 (प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आशुलिपिक) तथा 04/2024 {पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (माली), कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी (फर्राश)} के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले तांती (ततवा) जाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने ऑनलाईन आवेदन में अनूसूचित जाति कोटि का दावा किया है, को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन आई०डी० एवं पासवर्ड से लॉग–इन करते हुए दिनांक–**29.11.2024** से **13.12.2024** तक बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट पर अपनी आरक्षण कोटि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में सुधार करना सुनिश्चित करें। साथ ही वे सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

यदि आरक्षण कोटि में सुधार नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के अभ्यर्थित्व पर सभा सचिवालय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**राम कुमार यादव**
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।